**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), श्रावस्ती**
**पीठासीन अधिकारीः– अवनीश गौतम (एच0जे0एस0)**
**निर्णय तिथिः–19.08.2026**
**सत्र परीक्षण संख्याः–80/2016**

मु0अ0सं0–263/2009
अंतर्गत धारा–305, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (2) (iii) व 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनु0 जन0 (अत्याचार निवारण) अधि0 थाना–सोनवा, जनपद श्रावस्ती।

| | |
|---|---|
| शिकायतकर्ता | वादी मुकदमा घनश्याम |
| प्रस्तुतकर्ता | श्री प्रेम कुमार मिश्र, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) |
| अभियुक्त | दिनेश कुमार यादव |
| प्रस्तुतकर्ता | श्री वेद रतन सिंह एड0 |

| | |
|---|---|
| घटना की तिथि | 19.02.2009 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि | 01.03.2009 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि | 29.05.2009 |
| आरोप विरचित करने की तिथि | 21.05.2018 |
| साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि | 05.01.2024 |
| निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि | 21.09.2021 |
| निर्णय की तिथि | 19.08.2026 |
| दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो | |

**अभियुक्त का विवरण**

| अभियुक्त की रैंक | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तिथि | जमानत पर रिहा होने की तिथि | आरोपित आरोप | दोषसिद्ध या दोषमुक्त | दण्डादेश | धारा–428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गयी निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिनेश कुमार यादव | | | 305, 504 व 506 भा0दं0सं0, व 3 (2) | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (iii) व 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि0 | | | |

**<u>अभियोजन/बचाव/अदालत के गवाहों की सूची</u>**

**अ. अभियोजन के गवाह**

| पद | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| पी0डब्लू0—1 | घनश्याम | वादी मुकदमा |
| पी0डब्लू0—2 | अनीता उर्फ शालिनी | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—3 | अमृतलाल | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—4 | तैयब अली | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—5 | शिवराजी पाठक | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—6 | मालती देवी | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—7 | रामतेज | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—8 | एस0आई0 रामनाथ | पुलिस साक्षी |
| पी0डब्लू0—9 | राम प्रताप | चक्षुदर्शी साक्षी |
| पी0डब्लू0—10 | अनूप कुमार प्रजापति | चिकित्सक/फार्मासिस्ट साक्षी |
| पी0डब्लू0—11 | उप निरीक्षक रघुराज मिश्र | पुलिस साक्षी |

**ब. बचाव पक्ष के गवाह**

| पद | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| निल | | |

**स. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो।**

| पद | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| | निल | |

## अभियोजन/बचाव/अदालत के प्रदर्शों की सूची

### अ. अभियोजन प्रदर्श

| क.सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श क–1 से प्रदर्श क–7 | विवरण निर्णय पर उपलब्ध है। |

### ब. बचाव प्रदर्श

| क.सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | निल | |

### स. न्यायालय प्रदर्श

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | निल | |

### द. वस्तु प्रदर्श

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | निल | |

UPSR010005442016

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), श्रावस्ती**

**पीठासीन अधिकारी– श्री अवनीश गौतम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–** UP **01682**

**सत्र परीक्षण संख्या-** Session Trial 80/2016

उत्तर प्रदेश राज्य

———————————अभियोगी

**बनाम**

दिनेश कुमार यादव पुत्र अशर्फी यादव उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि साकिन चन्द्रावा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती।

——————————अभियुक्त

धारा– 305, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं

धारा 3 (2) (iii) व धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

अपराध संख्या 263/2009

थाना– गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

**<u>निर्णय</u>**

1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद श्रावस्ती के कमिटल आदेश दिनांक 02–07–2016 द्वारा यह पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् यह पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 31–08–2019 से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा घनश्याम पुत्र महादेव प्रसाद आर्या द्वारा थाने पर इन कथनो की तहरीर दी गयी कि वह वीरपुर थाना गिलौला

जनपद बहराईच का निवासी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति धोबी है। प्रार्थी का लड़का दिनेश कुमार आर्य पुत्र घनश्याम आर्य टेगोर शिक्षा निकेतन चन्द्रावा में कक्षा 10 में पढ़ रहा था उसी विद्यालय में दिनेश कुमार यादव पुत्र अशर्फी यादव जो साकिन चन्द्रावा मौजा गिलौला का निवासी है पढ़ा रहा था जो प्रार्थी के लड़के के साथ जातिगत भेदभाव रखकर बार बार प्रताड़ित करता था। दिनांक 19–02–2009 को जब प्रार्थी का लड़का विद्यालय गया तो उस दिन उक्त अध्यापक दिनेश कुमार यादव ने लड़के को नग्न करके अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने की नियत से मजबूर करने लगा परन्तु किसी प्रकार लड़के ने इज्जत बचाने में कामयाब हो गया परन्तु अवमानवीय कृत्य की वजह से लड़के को बहुत भारी आघात पहुंचा और वह गिलौला स्थित जगदेव प्रसाद तिवारी की दुकान से जहरीर पदार्थ खरीद कर खा लिया। प्रार्थी ने उक्त सम्पूर्ण घटना को गांव पहुंचने पर अपनी मां व ग्राम निवासी तैयब अली पुत्र भग्गू अली को बताया। कुछ देर बाद लड़के की हालत बिगड़ने पर प्रार्थी ने लडके को जिला अस्पताल बहराईच ले गये परन्तु वहां पर हालत में सुधार न होने पर डाक्टर की सलाह पर छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कालेज लखनउ ले गये वहां भर्ती करवा कर इलाज कराने लगा उक्त सम्पूर्ण घटना को लड़के ने अस्पताल लखनउ में बयान दिया कि मेरा उक्त अध्यापक ने बेइज्जती की जिसकी वजह से मैने जहर खा लिया है। बयान देने के कुछ देर बाद लड़के की मृत्यु हो गयी। तदनुसार एफ0आई0आर0 लिखकर कार्यवाही करने की याचना की। वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थना पर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती की पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार यादव पुत्र अशर्फी यादव के विरूद्ध अपराध संख्या 263/2009 अन्तर्गत धारा 377, 511, 306 भा0दं0सं0 व धारा 3 (2) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

3– विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया व अभियुक्त तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्त दिनेश कुमार यादव पुत्र अशर्फी यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 305, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (2) (iii) व धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और पत्रावली में विचारण प्रारम्भ किया गया।

4– अभियुक्त दिनेश कुमार यादव को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त दिनेश कुमार यादव के विरूद्ध दिनांक 21–05–2018 को अन्तर्गत धारा 305, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (2) (iii) व धारा 3 (2) (v) अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की तरफ से निम्न साक्षी परीक्षित कराये गये है।

| क्रम संख्या | साक्षी का नाम | साक्षी संख्या |
|---|---|---|
| 1– | वादी मुकदमा घनश्याम | पी0डब्लू0–1 |
| 2– | साक्षी अनीता उर्फ शालिनी | पी0डब्लू0–2 |
| 3– | साक्षी अमृतलाल | पी0डब्लू0–3 |
| 4– | साक्षी तैयब अली | पी0डब्लू0–4 |
| 5– | साक्षी शिवराजी पाठक | पी0डब्लू0–5 |
| 6– | साक्षी मालती देवी | पी0डब्लू0–6 |
| 7– | साक्षी रामतेज | पी0डब्लू0–7 |
| 8– | साक्षी सेवा निवृत्त एस0आई0 रामनाथ | पी0डब्लू0–8 |
| 9– | साक्षी राम प्रताप | पी0डब्लू0–9 |
| 10– | फार्मासिस्ट साक्षी अनूप कुमार प्रजापति | पी0डब्लू0–10 |
| 11– | साक्षी उप निरीक्षक रघुराज मिश्र | पी0डब्लू0–11 |

अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तदनुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6– अभियोजन की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

| क्रम संख्या | अभियोजन प्रपत्र | प्रदर्श संख्या | साक्षी जिसके द्वारा उक्त प्रपत्र साबित किया गया। |
|---|---|---|---|
| 1– | वादी मुकदमा घनश्याम द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर | प्रदर्श क–1 | पी0डब्लू0–1 |
| 2– | मृतक की पंचनामा रिपोर्ट | प्रदर्श क–2 | पी0डब्लू0–1 |
| 3– | चिक एफ0आई0आर0 | प्रदर्श क–3 | पी0डब्लू0–8 |
| 4– | कायमी जी0डी0 | प्रदर्श क–4 | पी0डब्लू0–8 |
| 5– | मृतक की पोस्ट मार्टम रिर्पो | प्रदर्श क–5 | पी0डब्लू0–10 |
| 6– | घटनास्थल की नक्शा नजरी | प्रदर्श क–6 | पी0डब्लू0–11 |
| 7– | आरोप पत्र | प्रदर्श क–7 | पी0डब्लू0–11 |

7– अभियुक्त ने अपने बयान अर्न्तगत धारा 313 सीआर0पी0सी0 में कथन करते अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कथन किया कि बिल्कुल गलत है, साक्षी पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि साक्षी का बयान झूठा है तहरीर सलाह करके

लिखाया है, साक्षी पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य के सम्बन्ध मे कथन किया है कि साक्षी का बयान झूठा है, साक्षी पी0डब्लू0–3 लगायत पी0डब्लू0–5 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है, साक्षी पी0डब्लू0–6 व पी0डब्लू0–7 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि साक्षी ने झूठा बयान दिया है, साक्षी पी0डब्लू0–8 के साक्ष्य के सम्बन्ध मे कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है, साक्षी पी0डब्लू0–9 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि झूठा बयान दिया है, साक्षी पी0डब्लू0–10 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है, साक्षी पी0डब्लू0–11 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि यह साक्षी कभी भी गौरी शंकर आर्य के साथ तैनात नहीं रहा है कागज का पेट भरने के लिए झूठी गवाही दी है। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलने व अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने विरूद्ध रंजिशन साक्ष्य दिये जाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य दिये जाने का भी कथन किया तथा आगे कथन किया कि मृतक घटना के दिन बच्चो के बीच गंदे गाने की कैसेट बजा रहा था जिसे मैने डांट कर बन्द करा दिया था जिसपर अपनी बेइज्जती महसूस करके चला गया था।

08– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को पूर्व में सविस्तार सुना जा चुका है। मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

09– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–1 घनश्याम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि पहले मेरो गांव वीरपुर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती में लगता था लेकिन अब बीरपुर थाना पयागपुर जिला बहराईच में लगता है। मैं धोबी बिरादरी का हू। अभियुक्त यादव जाति के है। मेरा लड़का दिनेश कुमार आर्य टेगौर शिक्षा निकेतन चन्द्रावा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती में कक्षा 10 में वर्ष 2009 मे पढ़ रहा था। अभियुक्त दिनेश कुमार यादव मेरे लड़के को स्कूल में पढ़ाते थे। दिनांक 18–02–2009 को वार्षिकोत्सव का दो दिवस का कार्यक्रम था उसमें मेरा लड़का स्कूल गया था। दिनांक 19–02–2009 को जब मेरा लड़का स्कूल गया तो उस दिन अध्यापक दिनेश कुमार यादव ने मेरे लडके को नग्न करके उसके साथ अप्राकृति सम्बन्ध बनाने के लिए विवश लगा। किसी प्रकार मेरा लड़का वहां से अपनी इज्जत बचाकर भाग पाया। इस अपमानित कृत्य से मेरे लड़के को बहुत ही मानसिक आघात पहुंचा। इस कारण से मरा लड़के ने जगदेश प्रसाद तिवारी की दुकान से जहरीला पदार्थ खरीद कर खा लिया। लड़के के जहरीला पदार्थ खन लेने की जानकारी लड़की मां व गांव के तैयब अली ने मुझे बताया। मैं अपने लड़के को किजला अस्पतला बहराईच लेकर आया लडके की हालत बिगडने की वजह से चिकित्सक की सलाह पर छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कालेज लखनउ लड़के को इलाज करने के लिए गया वहां पर लड़के को भर्ती कराया सम्पूर्ण घटना के बाद मे मेरे लड़के ने मडिकल कालेज लखनउ मे बयान भी दिया। कुछ देर

बाद मेरे लड़के की मृत्यु हो गयी। जिसकी सूचना मैने थाने पर दिनांक 22–02–2009 को दी थी। मेरा मुकदमा दर्ज किया गया था। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 4/2 मूल तहरीर दिखाई व पढ़कर सुनाई गयी तो साक्षी ने कहा कि यही तहरीर मैने थाने पर दिया था। इस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है। मै अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हू इस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया। मेरे लड़के की लाश का पंचनामा व पोस्टमार्टम लखनउ में ही पुलिस वालो ने कराया था पंचनामा की लिखापढ़ी पर पुलिस वालो ने मेरा हस्ताक्षर कराया था। साक्षी को कागज संख्या ए 7/1 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि इसपर मेरा हस्ताक्षर बना है। मैं तस्दीकर करता हूं। इस पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुझे मिला थी मै अपने लड़के का शव लेकर अपने गांव आया था गांव पर ही अपने लड़के अन्तिम संस्कार किया था। पुलिस वाले जांच करने गांव पर आये थे गांव मे सबसे पूछताछ किया था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। गिलौला जनपद श्रावस्ती इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य को पढ़कर आपको सुनाया जा रहा है, जिसे आपने सुना।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे गांव से चन्द्रावा छह किलोमीटर की दूरी पर है। दिनेश कुमार यादव मुल्जिम से मरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। घटना के दिनों मैने अपने लड़के दिनेश कुमार आर्य का नाम दसवी कक्षा में सुविखा इण्टर कालेज में लिखा रखा था। चन्द्रावा के स्कूल में मेरा लड़का पढ़ रहा था। वहां मैने मैने उसका नाम दसवी कक्षा में लिखा रखा था। कक्षा छह में मेरा लड़का टेगोर शिक्षा निकेतन में पढ़ रहा था। मैने अपनी तहरीर में यह बात नहीं लिखवाई थी कि मेरा बेटा कक्षा छह में टेगोर शिक्षा निकेतन चन्द्रावा में पढ़ रहा था। मेरे लड़के कक्षा में उस स्कूल मे दस बीस लड़के और पढ़ रहे थे। उस स्कूल में लड़किया भी पढ़ाती थी या नहीं क्योंकि मै उस स्कूल में कभी नही गया हूं। घटना के दिनो मे कुछ दिनो बाद हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली थी। दिनांक 19–09–2009 को मेरा लड़का रोज की तरह स्कूल पढ़ने गया था। 9–10 बजे वह साइकिल से स्कूल पढ़ने गया था। उस स्कूल में दिनेश कुमार यादव मुल्जिम के अलावा कुल कितने अध्यापक थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उस दिन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। विद्य ालय की तरफ से उस दिन रामायण पाठ का अयोजन था दिनांक 19–2–2009 की सुबह मेरा बेटा स्कूल से वापस आया था। नहा धो कर पुनः स्कूल से वापस गया था। दिनांक 19–02–2009 की सुबह जब मेरा बेटा स्कूल से लौटा था तब उसने किसी की शिकायत मुझसे नहीं की थी। दिनांक 19–02–2009 की शाम करीब पांच बजे मेरा बेटा वापस लौटा था। जिस समय शाम पांच बजे मेरा बेटा घर वापस आया उस समय मै घर पर नहीं था, गांव में कहीं घूमने चला गया था। मेरी पत्नी घर पर थीं। मेरे बेटे ने पूरी घटना अपनी मां से बताई थी। मेरी पत्नी ने सूचना मेरे पास नहीं भेजी थी करीब एक घन्टे में घर पहुचा था तब मेरे बेटे

ने पूरी बात मुझसे बताई थी। मेरी पत्नी ने भी सारी बात मुझसे बताई थी। मै अपने लड़के की जिन्दगी बचाने के लिए जिला अस्पताल बहराईच उसे लेकर फौरन भागा था। मेरे लड़के ने इमरजेंसी में नियुक्त डाक्टर जो घटना के बारे में बताया था उसी की बताई बात उन्होने लिखी थी तथा इलाज शुरू कर दिया। जिला अस्पताल में दो ढाई घन्टे मेरे बेटे का इलाज चला था मुझे यह जानकारी नहीं है कि घटना के बारे मे जो बात मेरे बेटे ने डाक्टर को बताई थी उस पर डाक्टर साहब ने मेरे बेटे का हस्ताक्षर करवाया था या नहीं। मेरे बेटे ने घटना के बारे मे शाम को मेरे घर पहुंचने के बाद मुझसे बताया था, यह बात मैने तहरीर में नहीं लिखाई थी। सी0ओ0 साहब को जो मैने बयान दिया था उसमे मैने यह बात बता दी थी, यदि मेरे बयान में यह नहीं लिखा है तो इसकी कोई वजह मै नहीं बता पाउंगा। मेरे बेटे ने दिनांक 19–02–2009 के पहले कभी किसी अध्यापक की शिकायत मुझसे नहीं की थी। घटना के दिन पहले मेरा बेटा खुशी खुशी स्कूल जाता था। पढ़कर वापस आता था। इस घटना के बाद घ ाटना के बारे मे पता लगाने मै आज तक टेगोर स्कूल नहीं गया हूं। मैने अपने बेटे के साथ पढ़ने वाले लड़को से मिलकर घटना के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। मुझे जानकारी नहीं है कि उस स्कूल में मेरे घर के आस पास के बच्चे भी पढ़ते थे या नहीं। दिनेश यादव मुल्जिम ने जब जज साहब के न्यायालय पर जमानत के लिए आवेदन किया था तब मैने राम चन्द्र वर्मा वकील साहब से उस जमानत का विरोध करवाया था। जमानत का विरोध करते समय जो शपथ पत्र मैने न्यायालय पर दाखिल किया था उसमे मैने यह बात कि मेरे बेटे ने मुझसे घटना के बारे मे बताया था यह बात लिखवाई थी। यदि मेरे शपथ पत्र मे वकील साहब ने यह बता नहीं लिखवाई हो तो इसकी कोई वजह मै नहीं बता सकता।

मुझे नहीं पता है कि घटना वाले दिन स्कूल मे मनोरंजन के लिए कोई सी0डी0 चलाई गयी थी या नहीं। मुझे नहीं मालूम है कि स्कूल मे मेरे बेटे को उस दिन अध्यापक दिनेश कुमार यादव मुल्जिम ने गंदी सी0डी0 लाकर चलाये जाने की बात को लेकर डांटा फटाकार था या नहीं। मुझे इस बारे मे जानकारी नहीं है कि मुल्जिम दिनेश कुमार यादव ने मेरे बच्चे को उसी उसी सी0डी0 को लेकर सारे बच्चों के सामने मुर्गा बना दिया था या नहीं। बहराईच जिला अस्पताल से लेकर लखनउ मेडिकल कालेज तक मै बराबर अपने बेटे के साथ रहा था। लखनउ मेडिकल कालेज मे मेरे बेटे ने मरने से पहले घटना के बारे में अपना मृत्यु पूर्व बयान दिया थ। किसी अधिकारी ने उसका मृत्यु पूर्व बयान लिखा था। उस अधिकारी को मडिकल कालेज के डाक्टर ने बलावाया था। मृत्यु पूर्व बयान लिखने के समय मैं बाहर था लेकिन झांकी से देख रहा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मृत्यु पूर्व बयान देने करीब आधे घ ाण्टे के बाद मेरे बेटे की वहीं मेडिकल कालेज मे मौत को गयी थी। मेरे बेटे के शव का पंचायतनामा वहीं मेडिकल कालेज मे मेरे व मेरे भाई दुखहरन नाथ के सामने हुआ था। मुझे

पंचायतनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। उसमें क्या लिखा था वह मै नहीं जानता। पंचायतनामा की तहरीर पढ़कर सुनाई गयी थी। हम पंचो की राय से मृतक अपने घर पर था अचानक तबीयत खराब होने के कारण उपचार हेतु नियमानुसार मेडिकल कालेज लखनउ में भर्ती कराया गया। दौरान इलाज मृत्यु हो गयी तो साक्षी ने कहा कि पंचायतनामा में लिखी उपरोक्त बात हम पंचो के सामने नहीं लिखी गयी थी केवल दस्तखत बनवाया था। उपरोक्त बाते मेरे दस्तखत करते समय पंचायतनामे मे लिखी थी या नही यह मैं नहीं जानता। मुझे पढ़कर सुनाया नहीं गया था। उस समय काफी दुखी था।

यह कहना गलत है कि पंचायतनामा में लिखाी उपरोक्त सारी बाते हम पंचो से पुछकर पंचायतनामा मे लिखी गयी थी। यह भी कहना गलत है कि ये सारी लिखापढ़ी पढ़ने के बाद मैने पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे।

मेडिकल कालेज मं मृत्यु पूर्व बयान देने के बाद मेरे बेटे ने बयान के बारे मे मुझसे कुछ नहीं बताया था। मेडिकल कालेज मे जब मेरे बेटे की मौत हो गयी थी तो मैने घटना की सूचना वहां पर पुलिस को नहीं दी थी। मेडिकल कालेज मे मैने अपने बेटे को दिनांक 10/20–02–2009 की रात में करीब एक बजे भर्ती करवाया था। उसी राम में चार बजे सुबह मेरे बेटे की मौत हो गयी थी। गांव आने के बाद दिनांक 22–02–2009 को मैने थाने पर रिपोर्ट लिखाने के लिए दरख्वास्त दी थी। थाने पर दरख्वास्त देने से पहले घटना के बारे मे किसी से कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। मेरे बेटे के साथ स्कूल में घटना कितने बजे हुई थी यह मुझे जानकारी नहीं है। इस घटना की रिपोर्ट लिख जाने के बाद सरकार की तरफ से मुझे अनुदान के रूप में बासठ सौ रूपये का चेक मिला था। यह कहना गलत है कि घटना के बारे मे मेरे बेटे ने मुझसे कुछ नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मैने कोई घ ाटना अपनी आंख से नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि मेरे बेटे के साथ स्कूल में अभियुक्त दिनेश यादव द्वारा कोई इस तरह की घटना कारित नहीं की गयी थी। यह कहना गलत है कि मेरे बेटे ने स्कूल में गंदी सी0डी0 चलायी थी इस कारण दिनेश कुमार यादव ने उसे डांटा था इसी कारण मेरे बेटे ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। मै नहीं बता सकता कि घ ाटना वाले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम मे मेरे बेटे ने गंदी सी0डी0 चलायी थी या नहीं। यह कहना गलत है कि मै झूठी गवाही दे रहा हूं।

10– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 अनीता देवी उर्फ शालिनी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करते हुए बयान दिया है कि पहले मेरा घर गिलौला जनपद श्रावस्ती मे लगता था घटना आज से करीब बारह साल नौ माह पहले की है माह फागुन का चल रहा था। मेरा लड़का दिनेश जब स्कूल से वापस आया तो वह उल्टी कर कर हा थ। मैने पूछा कि भैया उल्टी क्यो कर हरे तो उसने कहा कि मैने अध्यापक दिनेश कुमार यादव के कारण जहर खा

लिया है। दिनेश यादव अध्यापक ने मेरा पैंट खोलकर मेरी बेइज्जती किया है जो किया वह आपको नहीं बता सकता। मैने अध्यापक दिनेश यादव से कहा था कि मै अपने पिता से सारी बाते बताउंगा तो उन्होने कहा कि धोबी साले मेरा क्या कर लोगे तब मेरे पति घर पर आ गये थे मैने उन्हे बताया कि लड़के ने अध्यापक दिनेश यादव की करतूत के कारण जहर खा लिया है। मेरे लड़के की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मेरे पति उसे लेकर जिला अस्पताल बहराईच चले गये। बहराईच अस्पताल मे तबीयत ज्यादा खराब होने पर डाक्टर ने उसे लखनउ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था लखनउ मेडिकल कालेज मे ंउसका इलाज चल रहा था दूसरे दिन सुबह मेरे लड़के ककी मृत्यु हो गय थी। वहीं पर मेरे लड़के का पोस्टमार्टम पुलिस वालो ने कराया था। पंचनामा व पोस्टमार्टम होने के बाद मेरे लड़के लाश हम लोगो को मिली थी लाश शाम को सात बजे घर लाये थे घर पर अंतिम संसकार किया गया था मेरे पति घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवाई थी सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा लड़का दिनेश जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम मुझे याद नहीं है। वह चन्द्रावा स्कूल में पढ़ता था। वहां वह छठी कक्षा से कक्षा दस तक पढ़ा था। घटना के समय वह दसवी कक्षा में पढ़ रहा था घटना के चार साल पहले मेरा लड़का उस विद्यालय में पढ़ता था। इस घटना के पहले कभी कोई घटना मेरे लडके के साथ नहीं हुई थी। कभी उसके साथ भेदभाव नहीं किया गया था। मेरा लड़का स्कूल की तारीफ किया करता था। घटना के पहले मेरे लड़के ने किसी अध्यापक की शिकायत कभी मुझसे नहीं की थी। घटना के दिनो स्कूल मे पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि दसवी कक्षा के छात्रों की बिदाई के उपलक्ष मे अखण्ड पाठ का आयोजन किया गया था। अखण्ड पाठ मे एक दिन पहले मेरा लड़का शामिल होने गया था। उस दिन रात भर मेरा लड़का अखण्ड पाठ के आयोजन में स्कूल मे रहा था। सुबह छः सात बजे मेरा लड़का घर आ गया था। उसने नहाने के बाद कहा कि मां मै स्कूल जा रहा हूं। मैने पूछा तो उसने बताया कि आज स्कूल मे खाने पीने का आयोजन है। सात आठ बजे नहाकर मेरा लड़का स्कूल वापस चला गया था। मेरा लड़का उसी दिन शाम पांच छः बजे घर वापस आया था। जिस समय वह घर वापस आया तो उस समय वह उल्टी कर रहा था। मैने उससे पूछा कि उल्टी क्यो कर रहे हो तो उसने कहा कि मां मैने जहर खा लिया है। मैने पूछा कि क्यों जहर खा लिया है तो उसने बताया कि अध्यापक दिनेश यादव के कारण जहर खां लिया है, उन्होने मेरा पैंट खोल लिया था व मेरी बेइज्जती की है अब आगे आपको बताने लायक नहीं है। मेरे लडके ने मुझे बताया था कि अध्यापक दिनेश यादव ने मेरे कपड़े उतार कर मेरे साथ अप्राकृतिक संभोग किया था मैने अपने लडके के बताने के बाद उसी चोट नहीं देखी थी। जिस समय मेरे लड़के ने उपरोक्त बाते बताई थी उस समय साक्षी मेरे गांव के तैयब अली भी मौजूद थे। तैयब अली ने जब मेरे

लड़के से पूछा तो उनको भी लड़के ने यही बाते बताई थी। मेरे पति व मेरी जेठानी मालती तुरंत मेरे लड़के को लेकर अस्पताल ले कर भागे थे। अगले दिन मेरे लड़के की लाश लेकर मेरे पति घर आ गये थे। घटना के बारे में पुलिस वालो ने पूछताछ किया था। मैने विवेचक को दिये अपने बयान में मेरे लड़के द्वारा बताई उपरोक्त सारी बातें बता दी थी। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर0पी0सी0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मुझे यह याद नही है यही बयान विवेचक को दिया था या नहीं। मैने विवेचक द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आपके बेटे के साथ अभियुक्त ने अप्राकृतिक सम्भोग करने की बात आपके बेटे ने बताई थी? तो साक्षी ने कहा कि मैने उन्हें बताया था कि मेरे बेटे ने यह बात मुझसे बताई थी। अगर बयान में विवेचक ने यह बात नहीं लिखी है तो इसका कारण मैं नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि अभियुक्त द्वारा पैण्ट खोलकर बेइज्जती करने की बात मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताई थी। यह कहना गलत है कि मामले को संगीन बनाने के लिए मैने यह झूठा बयान दिया है।

घटना के बाद मै कभी अपने बेटे के स्कूल घटना की सच्चाई पता करने नहीं गयी थी। मेरे पति गये थे या नहीं यह मै ंनहीं बता सकती। मेरे पति ने मुझसे कभी नहीं बताया कि वे घटना के बारे मे स्कूल मे पूछताछ करने गये थे या नहीं। मै अपने लड़के के स्कूल घटना के पहले या घटना क बाद कभी नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि मेरा लड़का उस स्कूल में कक्षा छह से नहीं पढ़ रहा था।

मेरे लडके के स्कूल में कितनी फीस पड़ती थी यह मै नहीं जानती यह मेरे पति जानते होंगे। मेरा लड़का गाने बजाने का शौकीन था या नहीं यह मै नहीं जानती। मेरे लड़के के साथ जब अभियुक्त ने दुष्कर्म किया था तो उसके अध्यापक से उसी समय यह कहना था कि आपने जा मेरे साथ किया है वह मै अपने पिता जी से बताउंगा। यह कहना गलत है कि घटना के दिन स्कूल में मेरा लड़का गंदी सी0डी0 लाकर बच्चो के बीच चला रहा था। यह भी कहना गलत है कि इसी बात पर अध्यापक दिनेश यादव ने मेरे लडके को डांटा था। यह भी कहना गलत है कि तमाम बच्चो के सामने डांट पड़ने के कारण बेइज्जती महसूस करने के कारण मेरे लड़के ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह भी कहना गलत है कि मरे द्वारा अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये आरोप झूठे हैं।

11— अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0—3 अमृतलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशथ कथन किया है कि सन 2009 में जय गुरूदेव टेगोर शिक्षा निकेतन मे मै प्रबन्धक के पद पर नियुक्त था। यह विद्यालय मेरे मकान मे ही संचालित होता था। मेरे विद्यालय में कोचिंग साहेबदीन, विमल व दिनेश पढ़ाते थे। मेरे विद्यालय मे वार्षिक समारोह हर वर्ष होता था। समारोह में

कोचिंग के छात्र भी आते थे। मेरी जानकारी में मेर विद्यालय मे मृतक दिनेश कुमार आर्य के साथ कोई घटना नहीं हुई थी। सी0ओ0 साहब को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन पक्ष की ओर से **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे विद्यालय की कोचिंग मे घनश्याम आर्या का लड़का दिनेश आर्या पढ़ता था जिसको दिनेश यादव और साहेबदीन विमल भी पढ़ाते थे। समारोह के दिन दिनेश यादव ने मृतक दिनेश आर्या को मेरी जानकारी में मारे पीटे नहीं थे मुझे इसकी भी जानकारी नही है उस दिन दिनेश आर्या जहर खाये थे या नहीं। साक्षी को केस डायरी का पर्चा नम्बर एक पेज चार पर अंकित बयान दिखाया और पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि सी0ओ0 साहब को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ऐसा बयान कैसे लिख लिया इसकी वजह मै नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूं। यह भी कहना गलत है कि किसी दबाव या डर से मै सी बात नहीं बात रहा हूं।

12– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–4 तैयब अली** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वादी मुकदमा घनश्याम मेरे गांव के रहने वाले हैं। मृतक दिनेश कुमार घनश्याम का लड़का है जिसे मै पहले से जानता था। घटना करीब आज से तेरह साल पहले की है मैं गिलौला कस्बे से शाम को जब घर पहुंचा तो देखा कि मृतक दिनेश कुमार उल्टी कर रहा था उस समय उसकी मां भी वहां बैठी थी। दिनेश की मां और मैने दिनेश से पूछा कि क्या हो गया तो उसने बताया कि आज स्कूल मे गन्दे गाने की कैसेट चलाने की बात को लेकर दिनेश यादव अध्यापक ने मुझे तमाम लड़के लड़कियो के सामने डांटकर बेइज्जत किया है। इसके अलावा मृतक ने मुल्जिमान द्वारा गालिया देने या किसी और तरीके से बेइज्जत करने की बात हम लोगो को नहीं बताई थी। थोड़ी देर बाद दिनेश के पिता उसको लेकर बहराईच भाग गये। विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर इस साक्षी को अभियोजन की तरफ से **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

विद्वान लोक अभियोजन द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मै मजदूरी करता हूं। घटना के दिन मैं गिलौला बाजार बाजा लेने गया था। शाम को 5–6 बजे लौटा था तब देखा कि दिनेश उल्टी कर रहा था। फिर उसके बाप उसका इलाज के लिए बहराईच अस्पताल ले गये थे। दिनेश सदाशिव के पास किसी स्कूल में पढ़ता था स्कूल का नाम नहीं पता है। यह सुना था कि मुल्जिम दिनेश यादव चन्द्रावा में टयूशन पढ़ाते थे और मृतक भी वहां टयूशन पढ़ता था। मुझे यह जानकारी है कि गंदी फिल्म चलाने के कारण मास्टर साहब ने उसे डांटा था और मूझे नहीं पता है कि मुल्जिम ने मृतक के साथ गन्दा काम किया था कि नहीं। साक्षी को सी0डी0 में पर्चा नम्बर 3 पर दौरान विवेचना

विववेचक द्वारा अंकित बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैने ऐसा कोई बयान पुलिस वालो को नही दिया था उन्होनेकैसे लिख लिया मै इसी वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिम से मिल जाने के कारण मै झूठा बयान दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानो से पैसे ले लेने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

13– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–5 शिवराजी पाठक** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि फरवरी 2009 में मैं टेगौर शिक्षा निकेतन चन्द्राव में सहायक अध्यापक की हैसियत से बच्चो को पढ़ाती थी मृतक दिनेश कुमार भी मेरे इसी विद्यालय में टयूशन पढ़ते थे जबकि वह रेग्युलर छात्र दूसरे विद्यालय का था मेरे इस विद्यालाय में सह शिक्षा दी जाती थी और लड़को के साथ लड़किया भी पढ़ती थी उन दिनों बोर्ड की परीक्षाये होने वाली थी और उसमें शामिल होने वाले बच्चो की बिदाई के सम्बन्ध में अखण्ड रामायण पाठ का आयोजन विद्यालय की तरफ से किया गया था। अगले दिन सुबह दिनांक 19–02–2009 को अखण्ड समाप्त होने के बाद बच्चो के खाने पीने का इंतजाम भी था। लड़के लड़किया सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने स्तर से कर रहे थे इसी बीच दिनेश कुमार यादव मास्टर कमरे मे गये और मृतक लड़के दिनेश कुमार आर्य द्वारा चलाई जा रही सी0डी0 को डांटकर बंद करा दिया था इसी बात पर दिनेश आर्य मृतक को अपमानित महसूस स्कूल से चला गया। दिनेश कुमार घर जाकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था दूसरे दिन पता चला कि वह मर गया है। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन बच्चो द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किये जाने के दौरान मृतक दिनेश कुमार गन्द्र गाने की सी0डी0 लाकर बजाने लगा तो कमरे के बाहर बैठे हम अध्यापको ने सुना और दिनेश कुमार मास्टर साहब कमरे के अन्दर आ गये और गंदे गाने की सी0डी0 बजाने की बात को लेकर सारे बच्चो के सामने दिनेश कुमार को डांटा और सी0डी0 बन्द करा दी। इसी बात पर अपने को अपमानित महसूस करते हुए दिनेश कुमार आर्य स्कूल में चल रहे कार्यक्रम को छोड़ कर चला गया। मेरी जानकारी में घटना के दिन दिनेश कुमार ने मृतक लडके के साथ न तो कोई जातिगत दुर्व्यवहार किया और न ही कोई दूसरी तरह से उसे अभद्रता की थी।

14– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–6 मालती देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 20–02–2009 की है। समय नहीं पता है। मेरा लड़का फिर कहा भतीजा दिनेश कुमार ने सल्फास खा लिया था मुझसे लड़के ने बताया था कि स्कूल के मास्टर ने प्रताड़ित किया था जिस कारण सल्फास खा लिया था। स्कूल के मास्टर दिनेश कुमार ने प्रताड़ित किया था। मने पूछा कि क्या प्रताड़ित किया था तो बताया कि बताने लायक नहीं है इसी कारण सल्फास खा लिया। उसके बाद मै बहराईच अस्पताल मे लड़के से मिला था मुझे

बहराईच अस्पताल मे ही लड़के ने सारी बात बताई थी। डाक्टर आर0बी0 सिंह को जिला अस्पताल मे दिखाया था तो उन्होने ट्रामा सेन्टर लखनउ मे रेफर कर दिया था। मै ट्रामा सेन्टर साथ मे गयी थी। ट्रामा सेन्टर मे दवा इलाज हुआ था। उसी रात लड़के दिनेश की मृत्यु हो गयी थी और पोस्टमार्टम के बाद लाश हम लोगो को मिली थी। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे पति दो भाई है। मैं स्वास्थ्य विभाग मे ए0एन0एम0 हं जिस समय की घटना है उस समय मै पयागपुर में तैनात थी। घटना के दिन मै डयूटी पर गयी थी 5–6 बजे तक वापस आयी भी घटना वाले दिनेश कितने बजे वापस आया मै नहीं बता सकती। घटना के दिन मेरे पास कोई मोबाईल नहीं थी। घनश्याम मेरे सगे देवर है। यह सही है कि घटना के पहले से मै अपने मायके पिपरा पदारथ गांव में रहती थी जो घनश्याम के गांव से करीब 12 किमी फासले पर है। मैने 6–7 बजे सायं को सुना कि मेरा भतीजा सल्फास की गोलियां खा ली है और उसकी हालत खराब है व बहराईच जिला अस्पाताल ले गये है। मैं पिपरा पदारथ से भाग कर सीधे जिला अस्पताल पहुंची मैं करीब 8–9 बजे जिला अस्पताल पहुंची। जब मैं पहुंची तेा वह बोल रहा था। उस समय उसके पास उसके पिता मौजूद थे। जिस स्कूल मे मेरा भतीजा पढ़ता था उस स्कूल में आज तक मैने कभी कदम नहीं रखा है। मै उस स्कूल के किसी भी टीचर को घटना के पहले न तो नाम से जानती थी और न ही किसी अध्यापक को पहले से पहचानती थी। जिस मास्टर का नाम मेरे भतीजे ने बताया वही नाम मैने बताया। यह सही है कि जिला अस्पताल बहराईच में मेरे भतीजे ने मेरे सामने डाक्टर को अपना मृत पूर्व बयान दिया था और उस बयान मे उसने डाक्टर को घटना की पूरी बात बतायी थी। जो बयान मेरे भतीजे ने दिया डा0 आर0बी0 सिंह ने लिखा और फिर उसी बयान पर मेरे भतीजे ने अपना हस्ताक्षर बना दिया था। फिर डाक्टर की सलाह पर भतीजे को हम लोग लखनउ लेकर चले गये थे। मैं भतीजे के साथ बहराईच से लेकर लखनउ मेडिकल कालेज तक साथ रही थी एक मिनट के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मुझे यह याद नहीं है कि लखनउ में भतीजे का दुबारा बयान हुआ कि नहीं। मेरा लडका बहुत ही खुशमिजाज था इस घटना के पहले मेरे मृतक भतीजे ने चन्द्रावा स्कूल मे पढ़ाने वाले किसी भी टीचर की कोई शिकायत मुझसे नहीं की। जब मिलता था तो पूछने पर यही बताता था कि स्कूल के सारे टीचर अच्छे है पढ़ाई ठीक ठाक है। यह कहा करता था कि स्कूल के मास्टरों का अनुशासन सख्त है। मैने घटना के बारे मे घटना के बाद जब अपनी देवरानी मृतक की मां से पूछा तो उसने भी यही बताया कि स्कूल में दिनेश मास्टर ने उसे प्रताड़ित किया था और इसी बात पर मेरे लड़के ने सल्फाश खा लिया था और आगे की बात बताने वाली नहीं है जो मेरे साथ हुआ। इसके बाद और बात नहीं बताई। लड़के को स्कूल मे

कैसे प्रताड़ित किया गया इसका पता मैने नहीं लगाया उनके पिता ने लगाया होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस वालो ने घटना के बावत कोई बयान नहीं लिया था। फिर कहा सी0ओ0 साहब ने बयान लिया था और मैने उसी समय सी0ओ0 साहब को घटना के अनुरूप सही बयान दे दिया था। मालती देवी दिनेश की बड़ी मां पूरे होश हवाश में बयान देते हूं कि दिनांक 20–02–2009 सायं करीब 5.30 पी0एम.......स्कूल के मास्टर से झगड़ा होने के बाद दवा पिया था.....उसे जिला अस्पताल बहराईच में भर्ती कराया......वहां से टामा सेंटर लखनउ जाने की सलाह दी वहां जाकर इलाज शुरू कर दिया, यही उपरोक्त बयान मैने सी0ओ0 साहब को दिया था। मैने अपने इस बयान में दिनेश कुमार मास्टर साहब का नाम नहीं लिया था। उस समय मै लड़के के दुख में थी इसलिए हो सकता है छूट गया हो। मुझे दिन तारीख याद नहीं है कि किस तारीख को सी0ओ0 साहब को बयान दिया है। यह कहना गलत है कि मै मृतक की बड़ी मां होने के कारण झूठी गवाही दे रही हूं।

15– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–7 रामतेज** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 19–02–2009 की है। दिनेश आर्य स्कूल से घर आये थे व पल्टी कर रहा था तो मैने पूछा कि क्या हुआ तो कहा कि मास्टर साहब दिनेश कुमार यादव ने मेरी बहुत बेइज्जती की है जो बताने लायक नहीं है इस कारण मेन जहर खा लिया है। घर के लोग रोने लगे फिर उसे लेकर जिला अस्पताल ले गये मै भी जिला अस्पताल गया था। बहराईच जाते वक्त रास्ते में स्कूल भी गये वहा दिनेश यादव स्कूल से भाग गये थे स्कूल में नहीं मिले थे। बहराईच सरकारी अस्पताल में डाक्टर आर0बी0 सिंह ने जवाब दे दिया व लखनउ के लिए दवाई देकर उसी दिन रेफर कर दिया। लखनउ मेडिकल कालेज मे गांधी वार्ड में भर्ती कराया गया दवा इजाज चालू हुआ दूसरे दिन सुबह दिनेश आर्य की मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश हम लोग साथ लेकर आये व दाह संस्कार किया गया। सी0ओ0 साहब बयान लेने आये थे व यही बयान मैने उन्हें दिया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमे के वादी मेरे गांव के है व मेरी बिरादरी के है। घटना वाले दिन जहर खा लेने के बाद मेरी मुलाकात दिनेश से उसके घर सायं 4 बजे हुई थी। उस समय दिनेश के मां बाप तथ गांव के तमाम लोग दिनेश के घर पर मौजूद थे। मैने दिनेश से उसी समय पूछा था कि क्या हो गया है तो उसने बताया कि दिनेश मास्टर ने मेरी बहुत बेइज्जती किया है जो बताने लायक नहीं है इसीलिए जहर खा लिया है। मृतक दिनेश ने इस सम्बन्ध में पूछने पर कि क्या बेइज्जती किया है विस्तार से कोई बात मुझे नहीं बताया था। उस समय दिनेश के ताउ दुखहरन की पत्नी मालती देवी भी दिनेश के घर पर आ गयी थी और वही मौजूद थी फिर मै मालती देवी और दिनेश के पिता सब लोग दिनेश को जिला अस्पताल बहराईच ले गये। अस्पताल पहुचने पर इमरजेंसी में मौजूद डा0 आर0बी0

सिंह ने दिनेश का इलाज शुरू कर दिया और घन्टा दो घन्टा इलाज करके लखनउ के लिए रेफर कर दिया। इलाज शुरू करने में डाक्टर ने पूछा कि क्या हो गया है तो दिनेश ने डाक्टर को पूरी बात बताई और कहा कि स्कूल के अध्यापक दिनेश ने मेरी बेईज्जती की है इसी वजह से मैने सल्फास खा लिया है। दिनेश द्वारा बताई गयी पूरी बात डाक्टर साहब ने लिखा और फिर उस पर दिनेश के दस्तखत करवा कर उसे लखनउ रेफर कर दिया गया। लखनउ मै भी साथ गया था। लखनउ पहुंचने पर वहां के डाक्टर ने दिनेश से घटना के बारे मे पूछा उसने पूरी बात मेरे सामने डाक्टर से बताई वहां भी डाक्टर साहब ने उसका बयान लिया था और उसके दस्तखत कराकर इलाज शुरू किया लेकिन थोड़ी देर बाद वही की मौत हो गयी। इस घटना के बावत विवेचक ने मेरा बयान लिया था मैने विवेचक को दिये गये बयान में वही सारी बाते बताई थी जो मैने अपने मुख्य बयान मे मैने यहां बताया है। यदि मेरे 161 सीआर0पी0सी0 के बयान में मेरी द्वारा बतायी गयी उक्त बाते नहीं लिखी है तो उसकी वजह मै नही बता सकता हूं। साक्षी को उसका 161 सीआर0पी0सी0 बताया कि दुष्कर्म करने की कोशिश करने की बात गलत है.....सार्वजनिक स्थान पर डाटा फटकारा गया था....जिससे झुब्ध होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, यह बयान मैने दरोगा जी को नहीं दिया था। कैसे लिख लिया वजह नहीं बात सकता हूं। घटना के सम्बन्ध में पुलिस कप्तान को कभी कोई शपथ पत्र नहीं दिया था। साक्षी को पत्रावली में संलग्न सी0ओ0 इकौना को सम्बोधित साक्षी का शपथ पत्र कागज संख्या बी 15/21 दिखाया गया तो उसने इसपर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की और कहा कि यह शपथ पत्र विवेचना के दौरान मैने घटना के अनुरूप तैयार कराकर सी0ओ0 महोदय को भेजा था। यह यह शपथपत्र पत्रावली में लगा हुआ है। मेरे अलावा गांव के और किन लोगो का शपथ पत्र विवेचना में लगाया गया है मुझे जानकारी नहीं है। दिनेश मृत के साथ जो भी घटना हुई है वह मेरे सामने नहीं हुई है बल्कि दिनेश ने घटना के बारे मे जैसा बताया उसी से मै जान पाया। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा का परिजन होने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

16– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–8 सेवा निवृत्त एस0आई0 रामनाथ** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करते हुए दिनांक 01–03–2009 को थान गिलौला मे कोर्ट मोहर्रिर के पद पर तैनात होने, वादी मुकदमा घनश्याम के प्रार्थना पत्र पत्र व थानाध्यक्ष के निर्देशन मे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने का बयान देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट व मुकदमा कायमी जी0डी0 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए उन्हें क्रमशः प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप मे साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया कि सी0ओ0 साहब ने इस साक्षी का बयान लिया था।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि थानाध्यक्ष के निर्देशन मे मैने मुकदमा दर्ज किया था जो तहरीर थानाध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे दी गयी थी उसका अक्षरशः अंकिन किया गया था। थानाध्यक्ष महोदय ने मेरे कार्यालय में आकर मुझे तहरीर दिया था।

प्रश्न 17– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–9 राम प्रताप** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19–02–2009 को मेरे बुआ का लड़का दिनेश आर्या, टेगोर शिक्षा निकेतन चन्द्रावा गिलौला में कक्षा 10 मे पढ़ रहा था उस दिन विद्यालय मे वार्षिक उत्सव था उसी वार्षिक उत्सव में स्कूल के अध्यापक दिनेश यादव ने उसके साथ अश्लील अप्राकृतिक हरकत किया जिससे वह बेइज्जत महसूर करते हुए जहर खा लिया। जब अपने घर शाम को वापस आया तब वह उल्टी कर रहा था इसकी मां ने पूछा कि उल्टी क्यो कर रहे हो तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। उसी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण मेरी बुआ व मेरे फूफा उसे लेकर बहराईच अस्पताल आये तब वहां लड़के ने मुझे भी पूरी घटना बताई। ज्यादा तबीयत खराब होने पर डाक्टरो की सलाह पर मेडिकल कालेज लखनउ ले गये रात मे ही इलाज शुरू हुआ लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण करीब 3.00 बजे सुबह दिनेश आर्य की मृत्यु हो गयी। उसके बाद मे लिखापढ़ी होने के बाद लाश पोस्टमार्टम होने के लिए चली गयी। वहीं लखनउ मे ही पंचनामा भरा गया था और मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे। साक्षी को पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क–2 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही पंचनामा है जिसपर पुलिस ने मेरा हस्ताक्षर बनवाये थे। बने हुए हस्ताक्षर को देखकर साक्षी ने कहा कि यही मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हू।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि वादी मुकदमा घनश्याम मेरे सगे फूफा हैं। टैगेर शिक्षा निकेतन मै इस घटना के एक महीने बाद चन्द्रावा गया था। दिनेश कुमार अभियुक्त को पहले से जानता पहचानता नहीं था। मैने दिनेश कुमार यादव का नाम दिनांक 19–12–2009 को सुना था। उस दिन मैने अस्पताल जिला बहराईच में दिनेश कुमार यादव का नाम सुना था उससे पहले नहीं सुना था। जिला अस्पताल बहराईच में मेरे बुआ के लड़के ने दिनेश यादव का नाम लिया था। इलाज के दौनान इलाज करने वाले डाक्टर ने मेरे सामने दिनेश कुमार आर्या से यह नहीं पूछा था कि उसके साथ क्या घटना घटी थी और न ही बुआ के लड़के ने मेरे सामने दिनेश कुमार आर्या ने डाक्टर से कोई बात बताई थी। जिला अस्पताल बहराईच में मेरे फूफा घनश्याम व मेरी बुआ और मैं हम तीनो करीब आधे घन्टे तक मृतक के साथ रहे और उसके इलाज के लिए लखनउ रेफर कर दिया गया। वहां भी हम तीनो के सामने दिनेश आर्या को इलाज के लिए भर्ती कर दिया था। वहा पहुंचने पर इलाज करने वाले डाक्टर ने दिनेश कुमार आर्या से उसका बयान लिया था और फिर बयान लेकर उसकी लिखापढ़ी करके उस बयान पर दिनेश कुमार आर्या का दुबारा किसी ने बयान नहीं लिया और

सुबह करीब 3.00 बजे इलाज के दौरान दिनेश आर्या की मौत हो गयी। दूसरे दिन दिनांक 20–02–2009 को दिनेश कुमार आर्या का पंचनामा मेडिकल कालेज में ही हुआ था उस पंचनामा पर मेरे फूफा वादी मुकदमा तथा उनके बड़े भाई दुखहरन नाथ, गांव पटटीदार, बाबूलाल, मेरे चचेरे भाई प्रवीण कुमार तथा मैने स्वयं अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पंचनामा प्रदर्श क–2 दरोगा जी ने भरा था। दरोगा जी ने प्रदर्श क–2 पर मेरे तथा और अन्य सभी पंचो के हस्ताक्षर बनवा लिये थे। मै 19–09–2009 की शाम 6.30 बजे दिनेश को लेकर लखनउ गये थे और उसके मृत होने पर सुबह पंचनामा करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवा कर घर लाये थे। इस मुकदमे के बारे में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस मुकदमे के विवेचक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। दिनांक 28–03–2009 को या कभी भी विवेचक गौरी शंकर आर्या ने घटना के बारे मे मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया और न ही मेरा कभी कोई बयान लिया इस केस डायरी में उन्होने मेरा बयान कैसे लिख लिया यह मै नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैने अदालत पर मेरे द्वारा दिया गया बयान झूठा है और ऐसे बयान का कोर्ठ उल्लेख सी0डी0 में नहीं है इसलिए अदालत पर दिये गये बयान को निभाने और सही साबित करने की नियत से अपने वकील के सिखाने पर झूठा बयान दिया है।

लखनउ में हम लोगो में से किसी का बयान नहीं लिया गया था। लखनउ से लौट कर आने के बाद मैने वादी मुकदमा को घटना की रिपोर्ट नहीं दिया चूंकि मैने इस घटना की रिपोर्ट लिखाना उस समय उचित नहीं समझा इसलिए मैने मृतक के मां बाप को घटना की रिपोर्ट लिखाने की सलाह नहीं दिया। मै घटना के दो दिन बाद जान पाया कि मेरे फूफा ने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखा दिया है। यह कहना गलत है कि दिनेश कुमार आर्या ने मेरे सामने अस्पताल बहराईच या लखनउ मे कभी यह नहीं बताया कि स्कूल के वार्षिक उत्सव में अभियुक्त दिनेश कुमार यादव ने उसके साथ अश्लील/अप्राकृतिक हरकत किया जिससे बेइज्जती महसूस करते हुए उसने जहर खा लिया। लखनउ मेडिकल काले में मेरे फूफा घ नश्याम ने घटना की तहरीर वहां की पुलिस चौकी पर दिया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 19–02–2009 को न तो मै, दिनेश कुमार आर्या के साथ जिला अस्पताल गया था और न ही उसी दिन उसी दिन दिनेश कुमार आर्या के साथ मेडिकल कालेज गया था। यह भी कहना गलत है कि दिनेश की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद मैं कुछ और लोगो के साथ दिनांक 21–02–2009 को मेडिकल कालेज लखनउ पहुंचा और तब उसी दिन शव का पंचनामा मेरे सामने हुआ हो। यह कहना गलत है कि मृतक ने कोई बात मेरे सामने दिनेश कुमार यादव के विरूद्ध नहीं की हो।

प्रश्न 18– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–10 फार्मासिस्ट अनूप कुमार प्रजापति** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उक्त मुकदमे मे मृतक दिनेश कुमार उम्र 16 वर्ष का

पोस्टमार्टम वर्ष 2009 के रजिस्टर के अनुसार के0जी0एम0यू0 पोस्ट मार्टम हाउस लखनउ के पी0एम0 नम्बर 476/2009 में दिनांकित 21–2–2009 समय 11.50 ए0एम0 पर डा0 रामकृष्ण द्वारा किया गया था। डा0 रामकृष्ण की मृत्यु दिनांक 16–05–2021 को हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र समन के साथा संलग्न है। न्यायालय की सूचना पर आज मैं अपने साथ पोस्ट मार्टम रजिस्टर 2009 प्रारम्भ तिथि 01–01–2009 से लेकर 06–06–2009 तक लेकर आया हूं। रिकार्ड के अनुसार मृतक दिनेश कुमार की पी0एम0 दिनांक 21–02–2009 को पी0एम0 नम्बर 476/2009 पर अंकित है साक्षी को पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या ए 8/1 पी0एम0 रिपोर्ट दिखाई गयी तो साक्षी ने कहा रिकार्ड के अनुसार मृतक दिनेश कुमार का पी0एम0 डा0 रामकृष्ण द्वारा दिनांक 21–02–2009 को किया गया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिसपर उनके हस्ताक्षर बने है जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। पोस्टमार्टम रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति आ मै दाखिल कर रहा हूं।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि डा0 राम कृष्ण के साथ मैं कभी कार्यरत नहीं था और न ही मेरी पोस्टिंग हुई थी। इनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को मै नहीं पहचानता हूं। जो रजिस्टर मै अपने साथ लाया हूं वह उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। पोस्टमार्टम में उल्लिखित तथ्यों के बारे मे मुझे कोई जानकारी नहीं है। मृतक दिनेश कुमार का पोस्टमार्टम भी मेरे समक्ष नहीं हुआ था।

19– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–11 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रघुराज मिश्र** ने द्वितीयक साक्षी के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करते हुए वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक जनपद श्रावस्ती के कई थानो मे तैनात होने, मुकदमा उपरोक्त के विवेचक गौरी शंकर आर्य की मृत्यु हो जाने, उनके साथ कार्य सरकार किये जाने तथा उनके लेख व हस्ताक्षर को जानने पहचानने का बयान देते हुए इस मुकदमे के घटनास्थल की नक्शा नजरी व आरोप पत्र विवेचक गौरी शंकर आर्य के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए उन्हें क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि मैने क्षेत्राधिकारी गौरी शंकर आर्य के साथ कार्य किया है। मैने क्षेत्राधिकारी गौरी शंकर आर्य को लिखते पढ़ते देखा है। मै हस्तलेख विशेषज्ञ नहीं हूं। इस मुकदमे की घटना व सूचना के बारे मे मुझे कोई जानकारी नहीं है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 11 दिन विलंबित है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मात्र अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है तथा कथित घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नही है। मृतक की कथित मृत्युकालिक कथन को न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभाष है। मृतक द्वारा अभियुक्त के किसी पूर्व आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत

का कोई साक्ष्य नही है। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की याचना की। बचाव पक्ष की ओर से कुछ विधि व्यवस्थाएं भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गईं।

अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि साक्षीगण ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया है जिसकी पुष्टि मृतक की मेडिकल रिपोर्ट से भी होती है। बयानों में आंशिक विसंगतियों का लाभ अभियुक्त को नही दिया जा सकता है। अतः दोषसिद्ध किए जाने का अभिवाक किया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

## निष्कर्ष

20– वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त दिनेश यादव का धारा 305, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3 (2) (iii) व धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

21– अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के दृष्टिगत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि **क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के अल्पव्यस्क पीडित/मृतक को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया व जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया तथा एवं जान से मारने की धमकी दी ?**

21– वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 19–02–2009 को समय 5 बजे शाम की है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01–03–2009 को समय 16.45 बजे दर्ज की गई। घटना स्थल से थाने की दूरी लगभग 1 किमी0 है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 10 दिन के बाद दर्ज कराई गई। विलंब के स्पष्टीकरण के संबंध में अभियोजन का तर्क है कि मृतक को इलाज हेतु उसके घर वालों द्वारा पहले बहराइच तथा बाद में लखनऊ ले जाया गया। अतः इलाज में व्यस्त रहने के कारण थाने में तहरीर देने में 3 दिन का विलंब करित हुआ। बाद में थानाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक जांच के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि थानाध्यक्ष गिलौला श्रावस्ती को संदर्भित लिखित तहरीर दिनांक 19–02–2009 पर थानाध्यक्ष के निर्देश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01–03–2009 को दर्ज की गई। इस संबंध में पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा घनश्याम ने प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि मेडिकल कालेज में मैंने अपने बेटे को दिनांक 19/20–02–2009 को रात में करीब 1 बजे भर्ती कराया था। उसी रात में 4 बजे सुबह मेरे बेटे की मौत हो गई। गांव आने के बाद दिनांक 22–02–2009 को मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए दरखास्त दी थी। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को मृतक पुत्र की आत्महत्या में अभियुक्त की भूमिका की जानकारी घटना के दिन ही हो चुकि थी। मृतक की मां व अन्य जो मृतक के इलाज आदि के निमित्त लखनऊ नहीं गए व घर पर ही थे उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट

अविलंब  दर्ज नही कराई गई। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में बेटे के इलाज हेतु पहले बहराइच और फिर लखनऊ भागदौड़ करने तथा उसकी मृत्यु के बाद अगले दिन पोस्टमार्टम कराने व उसके बाद उसके बाद उसके शव को घर पर लाने के तथ्य के दृष्टिगत वादी मुकदमा द्वारा घटना के तीन दिन बाद लिखित तहरीर प्रस्तुत करने से पूर्व अवसर व समय होने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही की गई। उक्त तीन दिन के विलब का संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्राप्त होने के 7 दिन बाद दर्ज किए जाने के संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नही है।

वर्तमान प्रकरण में घटना स्थल जहां अभियुक्त द्वारा मृतक का उत्पीड़न किए जाने का आरोप है वह टैगोर शिक्षा निकेतन चंद्रवा होना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी में ए स्थान पर घटना होना बताया है। यदपि तथ्य के किसी अभियोजन साक्षी ने घटना स्थल के संबंध में कोई बयान नही दिया है तथापि उक्त नक्शा नजरी को प्रदर्श क–6 के रूप में द्वितीयक साक्षी पी0 डब्लू0–11 रघुराज मिश्र ने साबित किया है। घटना के किसी प्रत्य क्षदर्शी साक्षी एवं नक्शा नजरी तैयारकर्ता विवेचक के बयान की अनुपलब्धता की दशा में घटना स्थल भी साबित नही माना जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन की ओर से तथ्य के कुल 8 साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं। साक्षी पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा घनश्याम है जो मृतक का पिता भी है। इसने बतौर पी0 डब्लू0–1 मुख्य परीक्षा में इस आशय का साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसके मृतक पुत्र को स्कूल में पढ़ाते थे व उससे बराबर जातिगत भेदभाव रखते थे। अभियुक्त ने मृतक के साथ घ टना के दिन नग्न करके उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया जिससे ब्यथित व अपमानित होकर मृतक ने विष खा लिया। इसकी जानकारी मृतक ने घर आकर उसकी मां अनीता देवी व ग्रामवासी तैयब अली को दी जिन्होंने इसकी सूचना वादी को दी। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य न देकर मात्र अनुश्रुत साक्ष्य दिया है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि दिनांक 19–02–2009 को जब मेरा बेटा स्कूल से लौटा था तब उसने किसी की शिकायत मुझसे नही की। उस दिन जब मेरा बेटा शाम को घर आया तब मैं घर पर नही था। मेरी पत्नी  घर पर थी जिसे उसने सारी बात बताई। मैं करीब एक घंटे में घर पहुंचा तब मुझे सारी बात बताई। आगे यह भी कहा कि मेरे बेटे ने दिनांक 19–02–2009 के पहले कभी किसी अध्यापक की शिकायत मुझसे नही की। घटना के दिन से पहले मेरा बेटा खुशी खुशी स्कूल जाता था और पढ़कर वापस आता था। यह भी कहा कि इस घटना के बाद मैंने आज तक स्कूल मे जाकर घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश नही की और न ही किसी साथ पढ़ने वाले लड़कों से कोई पूछताछ ही की। इस

प्रकार इस साक्षी ने मात्र अनुश्रुत साक्ष्य दिया है तथा घटना के बाद किसी से पूछताछ करने से स्पष्ट इंकार किया है जो अत्यंत अस्वाभाविक है।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 मृतक की मां अनीता देवी उर्फ शालिनी ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मृतक द्वारा घटना के दिन शाम को विषाक्त पदार्थ खाकर घर पहुंचने एवं उसे समस्त घटना बताने का साक्ष्य दिया है। प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि घटना के चार वर्ष पूर्व से लड़का उस विद्यालय में पढ़ता था। इस घटना से पहले कभी कोई घटना मेरे लड़के के साथ नही हुई थी। कभी उसके साथ भेव भाव नही किया गया था। आगे यह भी कहा कि मेरा लड़का स्कूल की पढ़ाई की तारीफ किया करता था। घटना के पहले लड़के ने स्कूल के किसी अध्यापक की शिकायत नही की। शाम को जब मृतक घर वापस आया तब सारी बात बताई। इस प्रकार इस साक्षी ने भी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न देकर मात्र अनुश्रुत साक्ष्य दिया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–3 अमृतलाल ने पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है तथा इस संबंध में किसी जानकारी से स्पष्ट इंकार किया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–4 तैयब अली वह साक्षी है जिसके समक्ष मृतक द्वारा घटना का विवरण देने का अभियोजन कथानक है। इस साक्षी के अनुसार मृतक ने कथित घटना के समय उसके द्वारा गंदे गाने की कैसेट चलाने पर अभियुक्त दिनेश द्वारा सबके सामने डांट कर बेइज्जत करना बताया है। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–5 शिवरानी यादव ने मृतक द्वारा घटना के दिन सुबह रामायण पाठ के बाद खाने पीने के कार्यक्रम के दौरान मृतक दिनेश आर्य द्वारा विद्यालय में गंदे गाने की कैसेट चलाने पर अभियुक्त दिनेश यादव द्वारा डांट कर बंद कराना तथा इससे बाद मृतक द्वारा अपमानित महसूस कर स्कूल से चले जाने तथा घर जा कर जहरीला पदार्थ खाना बताया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के बाद भी इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नही किया गया है। इस प्रकार इस अभियोजन साक्षी ने न तो अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा न ही इसे पक्षद्रोही घ ोषित किया गया है। अतः इस साक्षी ने अभियोजन कथानक से सर्वथा भिन्न विवरण प्रस्तुत किया है। एतएव पत्रावली पर स्वयं अभियोजन कई ओर से दो भिन्न कथानक प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसी दशा में अभियोजन कथानक स्वतः संदेहास्पद हो जाता है।

साक्षी पी0 डब्लू0–6 मृतक की बड़ी मां मालती देवी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा प्रति परीक्षा में स्वयं को घटना के समय अपने मायके पिपरा पदारथ में होना एवं खबर मिलने पर सीधे बहराइच अस्पताल में तथा फिर साथ साथ लखनऊ जाना बताया है। इस साक्षी ने पीड़ित की मां द्वारा घटना का विवरण देना बताया है तथा मृतक द्वारा बहराइच

में डा0 आर0 बी0 सिंह को मृत्युकालिक बयान देना बताया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी मात्र अनुश्रुत साक्ष्य दिया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–7 राम तेज ने मुख्य परीक्षा में अनुश्रुत साक्ष्य देते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रति परीक्षा में घटना के दिन शाम 4 बजे गांव वालों के सामने मृतक द्वारा घटना का विवरण देना बताया है जो अभियोजन कथानक से भिन्न है। अतः यह साक्षी विश्वसनीय नही है।

साक्षी पी0 डब्लू0–9 राम प्रताप ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा मात्र अनुश्रुत साक्ष्य दिया है।

तथ्य के इस साक्षीगण के अलावा अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी प्रस्तुत नही किया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के अनुसार

To convict a person u/s 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit an offence and there ought to be an active or direct act leading the deceased to commit suicide being left with no option.

**Gurcharan singh Vs State of Punjab** [2017(1) JIC Reports 120 (SC)]

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को संदेह से परे साबित करने के लिए उसका दुराशय एवं मृतक की आत्महत्या के दुष्प्रेरण में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका या कार्य साबित करना होगा जिससे यह स्पष्ट हो कि मृतक के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नही था।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा घटना के दिन मृतक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया जिससे अपमानित होकर मृतक द्वारा कीटनाशक जैसे विष का सेवन करने को विवश होना पड़ा। कथित अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास के तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्षी प्रस्तुत नही किया गया जिसने स्वयं घटना को देखा हो। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक का मृत्युकालिक बयान इलाज के दौरान बहराइच व लखनऊ में डाक्टर द्वारा दर्ज किया गया था। परंतु उक्त मृतक दिनेश आर्य के उक्त मृत्युकालिक बयान को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (g) के अनुसार

Court may presume existence of certain facts.

The Court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human

conduct and public and private business, in their relation to the facts of the particular case.

llustrations

g) that evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavourable to the person who withholds it;

अभियोजन द्वारा उसके नियंत्रण में होने के बाद भी मृतक के मृत्युकालिक बयान को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही किए जाने से उपरोक्त प्राविधान के अंतर्गत अभियोजन के विरुद्ध उपधारणा को बल मिलता है।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के अनुसार घटना के दिन घटना स्थल अर्थात स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित था जिसमें भारी संख्या में छात्र छत्राओं ने प्रतिभाग किया था। नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 के अनुसार मात्र एक कमरे व एक छप्पर वाले स्कूल में सबकी उपस्थिति में मृतक के साथ अचानक कोई दुराचार या दुराचार का प्रयास किया जाना कल्पना के परे है विशेषकर जब अभियोजन साक्ष्य के अनुसार चार वर्ष से उसी संस्थान के सदस्य के रूप मे अध्ययनरत मृतक छात्र ने कभी किसी शिक्षक की कोई शिकायत आदि नही की बल्कि प्रशंसा की।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक की पंचनामा को वादी मुकदमा ने प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। उक्त पंचनामा प्रदर्श क–2 के दूसरे पृष्ठ पर अंकित राय पंचान में ″हम पंचों की राय से मृतक अपने घर पर था। अचानक तबीयत खराब होने के कारण उपचार हेतु नियमानुसार मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया गया। दौरान इलाज मृत्यु हो गई।” का स्पष्ट अंकन है। उक्त पंचनामा पर वादी मुकदमा के अतिरिक्त साक्षी राम प्रताप का भी हस्ताक्षर है तथा इसे साक्षी पी0 डब्लू0–9 राम प्रताप ने अपने बयान में भी पुष्ट किया है। एतएव अभियोजन द्वारा साबित मृतक के पंचनामा में घटना के समय मृतक का घर में मौजूद होना दर्शाया गया है तथा अभियुक्त से संबंधित किसी कथानक का कोई उल्लेख नही है। अतः उक्त पंचनामा से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है।

जहां तक अभियोजन कुछ अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्कूल में मृतक को गंदे गाने की कैसेट चलाने पर अभियुक्त द्वारा मृतक को सबके सामने डांटने व प्रताड़ित करने का प्रश्न है स्कूल जैसी शिक्षादायी संस्था में छात्रों की गतिविधि आदि को नियंत्रित करने व उनको अनुशासन में रखने के लिए शिक्षकों द्वारा डांट फटकार आदि सामान्य दिनचर्या का भाग होता है। इसके आधार मात्र पर आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने या ऐसे किसी प्रत्यक्ष कार्य की उपधारणा नही की जा सकती।

वर्तमान प्रकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0 धारा 377/511/306 भा0 दं0 सं0 दर्ज की गई तथा विवेचना उपरांत आरोप पत्र अ0 धारा 377/511 को विलोपित करते हुए मात्र 305, 504 व 506 भा0 दं0 सं0 तथा धारा 3 (2) (iii) एवं 3 (2) (v) एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट ही प्रस्तुत की गई।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधि व्यवस्था में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है कि

Abatement of suicide- for conviction specific allegation must be made as to what particular act was done by accused which may be interpreted as an act of abatement.

**Servesh vs State** [2018(1)JIC 541 (All)]

अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर मृतक का लैंगिक उत्पीड़न एवं पारिणामिक अपमानजनक व्यवहार को साबित करने के लिए अनुश्रुत साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या चक्षुदर्शी साक्षी अथवा कथित रूप से दर्ज किए जाने के बाद भी मृतक की मृत्युकालिक कथन को प्रस्तुत नही किया गया। नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 एवं अभियोजन साक्षीगण द्वारा घटना के दिन स्कूल में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम के दौरान छात्रों व स्कूल कर्मियों आदि की भीड़ की उपस्थिति में एक कमरे के संस्थान में मृतक के साथ कोई लैंगिक दुर्व्यवहार आदि किए जाने की संभावना को भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से लगभग असंभव बनाता है विशेषकर जब स्वयं अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियुक्त के पूर्व वृत्त या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की मृतक द्वारा कोई शिकायत किए जाने से स्पष्ट इंकार किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा मृतक को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने या कोई दुराशय होने अथवा कथित दुष्प्रेरण संबंधी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य किए जाने के आरोप के समर्थन में किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। एतएव अभियोजन अभियुक्त द्वारा मृतक को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने के आरोप कोसंदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

अभियुक्त पर मृतक को जातिसूचक गालियां व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अभियोजन द्वारा पुनः उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिए अनुश्रुत साक्ष्य के अतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष या चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत नही किया गया है।

चूंकि अभियुक्त पर विशेष अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध मुख्य अपराध के सहवर्ती या संबंधित हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य अपराध बाबत

मृतक के साथ लैंगिक उत्पीड़न कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने व जातिगत गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध विशेष अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध भी संदेह से परे साबित नहीं होता है।

एतएव अभियुक्त दिनेश यादव आरोप अ0 धारा 305, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3 (2) (iii) व धारा 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

**आदेश**

अभियुक्त दिनेश यादव आरोप अ0 धारा 305, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3 (2) (iii) व ध ारा 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके जमानतियों को जमानतीय दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा अभियुक्तगण के बन्धपत्र निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत दाखिल जमानतें निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 19–08–2026

**(अवनीश गौतम)**
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
श्रावस्ती।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 19–08–2026

**(अवनीश गौतम)**
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
श्रावस्ती।